तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	राजेन्द्र सिंह V/S सरकार	
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/4/25 को पेश हो। Bharti	
9/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/4/25 को पेश हो। Bharti	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थनानुसार पत्रावली दिनांक 17/4/25 को पेश हो। Bharti	
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/4/25 को पेश हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 1/5/25 को पेश हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः– 37 / 2024

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र छिद्दाराम जाति जाट निवासी वसैरी तहसील उच्चैन।

..................प्रार्थी

वनाम

1. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
2. घमण्डी
3. पुरूषोत्तम
4. महेन्द्र पुत्रान लौहरे जाति जाट निवासी वसैरी तहसील उच्चैन।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,128,136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–01.05.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,128,136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 975 / 0.09, 976 / 0.09, 977 / 0.08है0 वाके ग्राम वसैरी में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 825 था जो वाद में जमावन्दी में 825 मिन–1, 825 मिन–2 एवं 825 कर दिये गये लेकिन राजस्व नक्शा में कोई तरमीम नहीं थी राजस्व नक्शा उक्त खसरा नम्बर का एक राजस्व नक्शा था ज़वकि उक्त आराजी के तीनों सह खातेदारान के मध्य उक्त खसरा नम्बर के तीन पृथक–पृथक हिस्से कर मनवट के आधार पर बंटवारा कर लिया था तथा उक्त मनवट बंटबारे के तरफ पूर्व का यानि की पूर्व से पहला वादी का तथा पूर्व से दूसरा यानि की मध्य वाला हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 को एवं पूर्व से तीसरा गुमान बगै0 को मिला था एवं उक्त मनवट बंटवारे के आधार पर सभी सह खातेदार अरसा करीब पचासों वर्षों से अपने अपने हिस्से पर काविज होकर निरन्तर आज तक कास्त करते चले आ रहे है। दौराने सैटलमेंन्ट उक्त आराजी खसरा नम्बर 825 के नये खसरा नम्बर 975,976,977 बनाये गये तथा दौराने सैटलमेंन्ट एक नया राजस्व नक्शा भी तैयार किया गया एवं उक्त तीनों नम्बरान की पृथक पृथक तरमीम की गई तथा दौराने सैटलमेंन्ट उक्त नम्बरान की तरमीम की गई तो वो खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून तथा खिलाफ मनवट के की गई एवं उक्त नयी तरमीम में जहां तरफ पूर्व से पहला मुझ वादी का हिस्सा था वहां खसरा नम्बर 977 यानि कि प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 का बना दिया एवं जहां मध्य वाला हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 का था वहां खसरा नम्बर 976 मुझ वादी का वना दिया जबकि मौका अनुसार जहां खसरा नम्बर 977 है वहां पर खसरा नम्बर 976 होना चाहिए एवं

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

जहां 976 है वहां पर खसरा नम्बर 977 होना चाहिए। आज भी वादी खसरा नम्बर 977 के स्थान पर काबिज है। दौराने सैटलमेंन्ट खिलाफ मौका एवं कानून के हुई उक्त तरमीम की जानकारी मुझ वादी को हुई तो मैं वादी दिनांक 12.12.2024 को तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो तहसीलदार उच्चैन के द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 दिनांक 13.01.2025 को स्वंय उपस्थित आये। दिनांक 05.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम वसेरी के पुराने आराजी खसरा नम्बर 825 रकवा 1बीघा 12 बिस्वा संबंधित पत्रावली अनुसार एक ही खसरा नम्बर नक्शा लट्ठा में दर्ज रिकार्ड है जिसमें कोई भी तरमीम नहीं है। हाल राजस्व नक्शे में ग्राम वसेरी में सेटलमेंट विभाग द्वारा तीन नये खसरा नम्बरों में 975/0.09, 976/0.09, 977/0.08 में दर्ज रिकार्ड हुआ है। पटवारी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट संलग्न है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की वहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 825 था जिसका पक्षकरों के मध्य मनवट के आधार पर विभाजन किया हुआ था उक्त विवादित आराजी का सेटलमेंट से पूर्व एक ही नक्शा था। दौराने सेटलमेंट उक्त आराजी में से तीन नम्बर बनाये गये जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे में खिलाफ मौका एवं खिलाफ मनवट कर दी गई है। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 के द्वारा जवाव पेश नहीं किया गया है। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। मौके एवं मनवट के अनुसार नये राजस्व नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जवाव एवं हल्का पटवारी द्वारा पेश मौका रिर्पोट का अवलोकन किया गया। मौका एवं मनवट के अनुसार नये राजस्व नक्शे में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम वसेरी तहसील उच्चैन के नये राजस्व नक्शे में मुताबिक मौका एवं मनवट खसरा नम्बर 976 के स्थान पर खसरा नम्बर 977 एवं खसरा नम्बर 977 के स्थान पर खसरा नम्बर 976 की तरमीम किया जाकर नक्शे में दुरस्ती की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर